

GOVT. OF NCT OF DELHI
DIRECTORATE OF HIGHER EDUCATION
BTE BLOCK, MUNI MAYA RAM MARG, PITAMPURA, DELHI-110034.
(Directorate of TTE Compound)

F. No. 5(108)/Delhi Vidhan Sabha/2020/ 1377

Dated: 21/03/2022

To

The Deputy Secretary (Question Branch),
Delhi Legislative Assembly Secretariat,
Old Secretariat,
Delhi-1100054.


Sub: Reply of Vidhan Sabha Question (Starred) No. 01 listed for 24.03.2022.

Sir,

With reference to your letter No. F.11(B1)VI/2020-25/VSS/Q.B./2889 dt. 14.03.2022 on the above referred subject, I am directed to forward herewith the reply of Starred Question No. 01 raised by Sh. Jai Bhagwan, Hon'ble MLA listed for 24.03.2022 for further necessary action at your end.

This issue with the prior approval of Competent Authority/MoHE

Yours faithfully,


21.03.2022

(A.K. Sharma)

Deputy Director/HOO
Dte. of Higher Education

Encl: A/a

1. Director, Directorate of Information Publicity, alongwith 100 copies of reply of SQ No. 01

विभाग का नाम :- उच्च शिक्षा निदेशालय
डीटीटीइ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, मुनि माया राम मार्ग, पीतमपुरा, दिल्ली-34


तारांकित प्रश्न संख्या :- 1

दिनांक :- 24 मार्च 2022

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री जय भगवान, माननीय विधायक

क्या माननीय उपमुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

| क्रम सं. | प्रश्न | उत्तर |
|----------|--|---|
| क) | क्या यह सत्य है कि सरकार के पास सेक्टर 35, रोहिणी में अदिति कॉलेज और मौलाना आज़ाद मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी के लिए आवंटित भूमि है; और | सरकार के पास सेक्टर 35, रोहिणी में अदिति कॉलेज के लिए कोई आवंटित भूमि नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार को स्टेट डेंटल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पॉकेट 29, सेक्टर-35 रोहिणी में 4.082 हैक्टेयर भूमि का आवंटन दिनांक 09.06.2014 को किया गया है। |
| ख) | यदि हाँ, तो सरकार के पास इस भूमि के प्रयोग का क्या प्रस्ताव है ? | आवंटित भूमि के लिए महानिदेशालय, स्वास्थ्य सेवायें द्वारा रु.31,03,30,383/- का भुगतान दिनांक 15.01.2015 को कर दिया है परंतु अभी तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस भूमि पर कब्जा महानिदेशालय स्वास्थ्य सेवायें को नहीं दिया है। इस संदर्भ में दिल्ली विकास प्राधिकरण को दिनांक 23.01.2015, 20.05.2015, 28.07.2015, 31.08.2015, 23.11.2015, 03.10.2017, 08.07.2019, 01.09.2020, 17.09.2020, 08.06.2021 को पत्र के अनुस्मारक लिखे जा चुके हैं, योजना बनाकर आगे की कार्यवाही की जाएगी। |



उप निदेशक
उच्च शिक्षा निदेशालय